राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, सीकर (राजस्थान)

(सांवली रोड़, सीकर–332001, Ph. No. 01572-274094, email : dcf.sikar.forest@rajasthan.gov.in, dcfsikar@gmail.com)

क्रमांक :एफ ( )एफसीए/उवसंसी/2021–22/ 4516 दिनांक: 21/04/22

निमित:–

अधिशाषी अभियन्ता,
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड,
नीमकाथाना, सीकर।

विषयः–Diversion of 0.9737 Ha. of forest land in favour of Missing link road, PWD Neem Ka Thana, Sikar for Widening of Existing road from Neem ka Thana- Cheeplata Road (ODR-17) to Deepawas village Tehsil- Neem Ka Thana Dist- Sikar.
(Proposal no. FP/RJ/ROAD/145183/2021)

संदर्भः–राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1 (30)वन/2022 जयपुर दिनांक 08.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के कम में लेख है कि आलौच्य प्रकरण में राजस्थान सरकार, वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प.1 (30)वन/2022 जयपुर दिनांक 08.04.2022 द्वारा 0.9737 है0 वन भूमि के प्रत्यावर्तन एवं बिना वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः राजस्थान सरकार द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना कर पालना रिपोर्ट निम्नानुसार अविलम्ब भिजवावें :–

1. शर्त संख्या 08 की पालना में यूजर एजेंसी संबंधित जिला कलक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से एफआरए, 2006 की पूर्ण अनुपालना सुनिश्चित की जाये तथा साथ ही एफआरए, 2006 की सम्पूर्ण कार्यवाही विवरण पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
2. प्रयोक्ता अभिकरण शर्त संख्या 10 की पालना में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 0.50 है0 वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु निम्नानुसार राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करावें :–क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण राशि रू 106572/–(In Words One lakh six thousand five hundred seventy two rupees only)
3. शर्त संख्या 11 की पालना में एनपीवी राशि 0.9737 ha. x 9.5778 lac per ha. = 932590 /-(In Words Nine lakh thirty two thousand five hundred ninty rupees only) राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करावे।
4. शर्त संख्या 14 की पालना में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक 7–23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के निर्णय दिनांक 07.11.2012 की पालना में प्रकरण में जारी सैद्धांतिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक–एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर

उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा समाचार पत्रों की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

शर्त संख्या 10 व 11 की पालना में कुल राशि = 1039162/–(In Words Ten lakh Thirty Nine thousand one hundred Sixty two rupees only) कैम्पा फण्ड में जरिये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई–चालान द्वारा जमा करावे।

अतः शर्त संख्या 1 से 07 एवं 09, 12 एवं 13 में उल्लेखित बिन्दुओं के क्रम में राजस्थान सरकार द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति दिनांक 08.04.2022 (प्रति संलग्न) में अधिरोपित शर्तों की पालना रिपोर्ट मय अंडरटेंकिग 04 प्रतियों एवं शर्त संख्या 10 व 11 की पालना में नियमानुसार जमा की जाने वाली राशि स्टेट कैम्पा के निर्धारित मद में ई–चालान द्वारा ऑनलाईन जमा करवाकर चालान की प्रति यू.टी.आर. संख्या के साथ उपलब्ध करावें ताकि आप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज/पालना/वचनबद्धता अग्रेतर कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर

क्रमांक एफ सम/
दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत हैः–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राज, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अरावली भवन, जयपुर।
3. सहायक वन संरक्षक, सीकर/क्षेत्रीय वन अधिकारी, नीमकाथाना को प्रेषित कर लेख है कि आलौच्य प्रकरण में जब तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हो जाती है, तब तक किसी भी प्रकार का गैरवानिकी कार्य किसी भी सूरत में नहीं हो, यह सुनिश्चित करें।

(भीमा राम चौधरी)
उप वन संरक्षक,
सीकर